सर्वहारा दृष्टिकोण

डिजिटल संस्करण
इंटरनेट के जरिये वितरण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) SUCI (C) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-40 अंक 22 | 22 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2025 | मुख्य संपादकः कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ : 8 | मूल्य : 4 रुपये | पृष्ठ 1

लाल किले के पास हुए विस्फोट में निर्दोष नागरिकों की मौत पर
एसयूसीआई (सी) ने जताया शोक

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 11 नवंबर, 2025 को जारी बयान में कहा :

"दिल्ली की घनी आबादी वाले एक क्षेत्र और पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र लाल किले के पास हुए भीषण विस्फोट में लगभग 10 निर्दोष नागरिकों की मृत्यु और कई अन्य के गंभीर रूप से घायल होने पर हमें गहरा सदमा पहुंचा है। सरकार इसे एक विध्वंसक गतिविधि बता रही है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रमुख जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती।

हम मांग करते हैं कि सरकार देशवासियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के प्रति और अधिक सतर्क रहे और इस घटना की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को गिरफ्तार किया जाये और कड़ी सजा दी जाये। हम शोक संतप्त परिवारों को पर्याप्त मुआवजा और घायलों को सरकारी खर्च पर सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने की भी मांग करते हैं।"

महान नवम्बर क्रान्ति जिन्दाबाद

महान नवम्बर क्रांति की 108वीं वर्षगांठ के अवसर पर 7 नवम्बर को कोलकाता में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सौमेन बसु व अन्य नेताओं ने और शिवपुर सेंटर में पार्टी के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष के अस्वस्थ होने के कारण उनकी ओर से पार्टी की केंद्रीय कमेटी सदस्य एवं मध्य प्रदेश राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड प्रताप सामल ने महान नेताओं कॉमरेड लेनिन और स्तालिन के चित्रों पर माल्यार्पण किया।

सार्वजनिक शिक्षा बर्बादी के कगार पर

जब भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-20) को एनईपी-1986, बिड़ला-अंबानी समिति (1999), यशपाल समिति की सिफारिशों (मुख्य रूप से यूजीसी और एआईसीटीई जैसे कई निकायों को एक सुव्यवस्थित नियामक ढांचा बनाने के लिए एक नए ''उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग'' से प्रतिस्थापित करने) के अद्यतन और उन्नत संस्करण के रूप में लागू किया, तो इससे धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और जनवादी शिक्षा के साथ-साथ सभी नागरिकों को सुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी निकायों द्वारा प्रबंधित और वित्त पोषित स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मौत की सजा सुना दी गई। हालांकि, एक छद्मावरण के रूप में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 लागू किया, जिसमें कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है और यह अनिवार्य किया गया कि संबंधित सरकार मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करे। इस अधिनियम में एक स्कूल के लिए न्यूनतम आधारभूत संरचना के प्रावधान शामिल हैं, शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर रोक है, निजी स्कूलों को वंचित बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करना जरूरी है और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल चलाने पर प्रतिबंध है। आरटीई से पहले शिक्षा का अधिकार भारत में अनुच्छेद 45 के तहत एक अबाध्यकारी निर्देशक सिद्धांत था, जिसका उद्देश्य संविधान के लागू होने के एक दशक के भीतर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। 2002 में, यह संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत एक मौलिक अधिकार बन गया।

इसलिए सरकारें, चाहे कांग्रेस की हों या भाजपा की, ये पार्टियां सत्तारूढ़ भारतीय एकाधिकारी पूंजीपतियों की दो विश्वसनीय प्रतिनिधि हैं, जिनका वर्गीय उद्देश्य शिक्षा से उसका सार छीनना, छात्रों में तार्किक-वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रक्रिया को बाधित करना, शैक्षणिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र के आसान और बढ़ते प्रवेश को सुगम बनाना और शिक्षा को अत्यधिक कीमत पर बेचने

(शेष पृष्ठ 2 पर)

एसआईआरः अनिश्चितता और आतंक का माहौल बनाना ही है भाजपा का हीन उद्देश्य

मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है। हर साल इसमें कुछ नए नाम जुड़ते हैं, मृत व्यक्तियों के नाम हटाये जाते हैं। पहले भी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हुआ है। फिर भी, इस बार भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर अनिश्चितता और आतंक का ऐसा माहौल बना दिया है कि जनजीवन के ज्वलंत मुद्दे–चौतरफा व्याप्त भ्रष्टाचार, आकाशछूती महंगाई, विकराल हो रही बेरोजगारी, महिलाओं पर बढ़ते हमले, सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था में अराजकता, किसानों को उनकी फसलों के वाजिब दाम न मिलना–सब पीछे छूट गये हैं। किसी परिचित से मिलते ही सवाल उठता है: हमारे पास ये सारे दस्तावेज नहीं हैं, तो क्या हमारा नाम मतदाता सूची में नहीं रहेगा? हमारे बच्चे तो 2002 के बाद पैदा हुए हैं, तो उनका नाम कैसे जोड़ें? ऐसी अनेक अनिश्चितताओं के कारण अनेक लोग भयभीत हैं। लोगों को नागरिकता खोने का डर सताने लगा है।

जबकि ऐसा आतंक का माहौल बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? दरअसल, एसआईआर के जरिये कोई घुसपैठिया मिले या न मिले, सत्तारूढ़ भाजपा के लिए यह डर पैदा करना ही जरूरी था।

स्वतंत्रता के बाद से अब तक तीन प्रकार से मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण होता रहा है: गहन पुनरीक्षण (इंटेंसिव रिवीजन), संक्षिप्त पुनरीक्षण

(शेष पृष्ठ 7 पर)

एआईएमएसएस, मध्य प्रदेश का दूसरा राज्य महिला सम्मेलन सम्पन्न

गुना (मध्य प्रदेश) : राज्य में महिलाओं व बच्चियों पर बढ़ते अपराधों, नशाखोरी, शराब, अश्लीलता, सरकारी स्कूलों को बंद करने और स्मार्ट मीटरों के खिलाफ ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) का दो दिवसीय दूसरा राज्य सम्मेलन 9 और 10 नवंबर को बड़े ही भव्य ढंग से गुना में आयोजित किया गया।

9 नवंबर को नेहरू पार्क से लक्ष्मीगंज तक रैली निकाली गई। तत्पश्चात लक्ष्मीगंज में खुला अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें राज्य भर से सैकड़ों महिलाओं और छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

यहां सभा की शुरुआत में स्वागत समिति की ओर से संगीत शिक्षिका मंगला सुर्वे ने स्वागत भाषण दिया व पूरे प्रदेश से आयीं महिलाओं के जोश और जज्बे को सलाम किया।

गुना : महिला सम्मेलन को सम्बोधित करती हुए कॉमरेड केया डे

सम्मेलन को मुख्य वक्ता के रूप में एआईएमएसएस की महासचिव कॉमरेड छवि मोहंती और मध्य प्रदेश राज्य सचिव सह ऑल इण्डिया कमेटी की सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड रचना अग्रवाल सम्बोधित किया।

म. प्र. राज्य अध्यक्ष कॉमरेड जोली सरकार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

कॉमरेड छवि मोहंती ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिला अपराधों की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक हैं। उन्होंने सरकार की शराब नीति, नशे और सोशल मीडिया की अश्लीलता को इन अपराधों का प्रमुख कारण बताया। समाज में फैली हुई नशाखोरी और

(शेष पृष्ठ 4 पर)

सार्वजनिक शिक्षा .....

(पृष्ठ 1 का शेष)

और अधिकतम लाभ कमाने की वस्तु में बदलना है।

लगातार घट रही है सरकारी स्कूलों की संख्या

आइए देखें कि भारत में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का परिदृश्य क्या है। पिछले 10 वर्षों में 89,441 से अधिक सरकारी स्कूल बंद कर दिये गये हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 25,126 स्कूलों को बंद किया गया है। मध्य प्रदेश में यह संख्या 29,410 है। मध्य प्रदेश के बाद जम्मू-कश्मीर का स्थान है, जहां 2014-15 में सरकारी स्कूलों की संख्या 23,874 से 21.4% घटकर 2023-24 में 18,758 हो गई। इसी अवधि में, ओडिशा के सरकारी स्कूलों की संख्या 17.1% घटकर 58,697 से 48,671 रह गई; अरुणाचल प्रदेश के स्कूलों की संख्या 16.4% घटकर 3,408 से 2,847 हो गई; उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की संख्या 15. 5% घटकर 1,62,228 से 1,37,102 रह गई; झारखण्ड में 41,322 से 35,795 तक 13.4% की गिरावट दिखी; नागालैंड अपने राज्य में स्कूलों की संख्या में 14.4% गिरावट से 2,279 से 1,952 रह तक रह जाने का गवाह बना; गोवा में स्कूलों की संख्या 12.9% घटकर 906 से 789 रह गई और उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की संख्या 8.7% घटकर 17,753 से 16,201 रह गई। जहां सरकारी स्कूलों की संख्या 2014-15 में 11,07,101 थी, घटकर 2023-24 में 10,17,660 रह गई, वहीं इसी अवधि में निजी स्कूलों की संख्या में 42,944 की वृद्धि हुई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने संसद में स्वीकार किया कि 2014-15 से 2023-24 तक पिछले एक दशक में सरकारी स्कूलों की संख्या में 8% की गिरावट आयी है, जबकि निजी स्कूलों की संख्या में 14.9% की वृद्धि हुई है। (स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स, 03-02-25)

शिक्षकों की कमी

सरकारी स्कूलों की समस्या बढ़ने के और कौन से कारक हैं? सबसे पहले, स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। दिसंबर 2023 में, संसद में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने प्राथमिक स्तर पर 7,22,413 और माध्यमिक स्तर पर 1,24,262 शिक्षकों की कमी का उल्लेख किया था। देशभर में लाखों शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। यह भी पाया गया है कि देश में एक लाख से ज्यादा स्कूल 'एक शिक्षक' वाले स्कूल हैं। आंध्र प्रदेश में 12,912 ऐसे स्कूल होने से इस मामले में यह राज्य शीर्ष पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश (9508), झारखंड (9172), महाराष्ट्र (8512), कर्नाटक (7349), मध्य प्रदेश (7217), पश्चिम बंगाल (6482) और अन्य राज्य हैं। शिक्षा मंत्रालय के हालिया शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 1,04,125 एकल-शिक्षक विद्यालय हैं, जिनमें लगभग 33 लाख छात्र पढ़ते हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं, जहां एक शिक्षक एक साथ चार कक्षाओं को पढ़ाता है।

इसके अलावा, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार घुस आया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल में लगभग 26,000 शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया, जिन्हें 2016 में पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग (WBSSC – West Bengal School Service Commission) के माध्यम से भर्ती किया गया था। यह निर्णय एक सीबीआई जांच के बाद आया, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार पाया गया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि लगभग 19,000 बेदाग शिक्षक थे। फिर भी, उन्हें बिना किसी उचित कारण के बर्खास्त कर दिया गया। इसी तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, जहां लगभग 69,000 शिक्षकों की नौकरी चली गयी और त्रिपुरा में, जहां 10,223 शिक्षकों को हटा दिया गया। लंबी मुकदमेबाजी ने न्याय से वंचित कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों को हुआ है, जिन्हें कक्षाओं में अपने शिक्षक नहीं मिले।

समुचित बुनियादी ढांचे का अभाव

इसके अलावा, अधिकतर सरकारी स्कूलों में उचित बुनियादी ढांचा नहीं है, जैसा कि एक सरकारी रिपोर्ट से उजागर हुआ है। 10.17 लाख सरकारी स्कूलों में से केवल 3.37 लाख स्कूलों में ही दिव्यांगजनों के अनुकूल शौचालय हैं, जो कुल स्कूलों का 33.2% है। हालांकि, उनमें से केवल 30.6% ही क्रियाशील हैं। लड़कियों के लिए शायद ही कोई अलग शौचालय है, जो छात्राओं की उपस्थिति में एक बड़ी बाधा है। भारत के 14.71 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में से 1.52 लाख स्कूलों में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। (स्रोत: द हिंदू, 03-01-25) कई स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की विश्वसनीय आपूर्ति नहीं है, जो स्वास्थ्य के लिए एक बुनियादी जरूरत है। हवा के आवागमन की दुर्व्यवस्था, अत्यधिक तापमान और प्राकृतिक प्रकाश की कमी जैसे मुद्दे छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बनाते हैं। एक पुराने सर्वेक्षण से पता चला है कि 25% सरकारी स्कूलों में ब्लैकबोर्ड, चाक और डस्टर नहीं हैं।

सरकारी स्कूलों में न्यूनतम बुनियादी ढांचे की कमी के गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें भीड़भाड़ वाली और जर्जर क्लास रूम, स्वच्छता के लिए साफ-सफाई की अपर्याप्त जनसुविधाएं, स्वच्छ पेयजल की कमी और खराब कनेक्टिविटी शामिल हैं। ये कमियां शिक्षण और पठन-पाठन का एक नकारात्मक वातावरण बनाती हैं, जो छात्रों का मनोबल गिरा सकती हैं, स्कूल छोड़ने की दर बढ़ा सकती हैं और बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन में बाधा डाल सकती है।

स्कूलों का विलय

एनईपी-2020 के निर्देशों के अनुसार, कम नामांकन वाले कई सरकारी स्कूलों का निकटवर्ती संस्थानों में विलय किया जा रहा है। हालांकि, इस प्रक्रिया का शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षाप्रेमियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जो पहुंच में कमी, छात्रों (विशेषकर लड़कियों) के लिए बढ़ती यात्रा और हाशिए पर पड़े समुदायों पर संभावित नकारात्मक प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य बड़े पैमाने पर विलय को लागू कर रहे हैं। पिछले 16 जून की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने 10,000 स्कूलों के विलय (मर्जर) की पहल की है, जो अभिभावकों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि स्कूल तक पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें कठिन रास्ते भी शामिल हैं और छात्रों, विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिससे कम आय वाले और गतिशीलता वाले लोग अपने बच्चों, विशेषकर लड़कियों को स्कूल से निकालने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इसके अलावा, अगर निजी स्कूलों का सरकारी स्कूलों में विलय किया जाता है (जिसका प्रावधान एनईपी-2020 में मौजूद है), तो निजी संचालक कानूनी मंजूरी के साथ सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। दिल्ली में यह पाया गया कि एक निजी स्कूल ने एक सरकारी स्कूल की जगह पर एक विशाल स्कूल भवन का निर्माण कर लिया है, जिसकी जर्जर संरचना अभी भी नए निर्माण के पीछे दिखाई दे रही है।

शिक्षा बचाओ आंदोलन और वैकल्पिक शिक्षा नीति

ये तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि सरकार कॉर्पोरेट घरानों के लिए जगह बनाने हेतु सार्वजनिक शिक्षा को ध्वस्त करने की शीघ्रता में लगी हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था कुछ ही वर्षों में दम तोड़ देगी। कोई भी समझदार व्यक्ति, जो शिक्षा को मानव-निर्माण और छात्रों में भौतिक जगत के प्रति उचित चेतना उत्पन्न करने का साधन मानता है, किसी भी सरकार द्वारा शिक्षा, एक सामाजिक धरोहर, को नष्ट करने के ऐसे कदम को मंजूर नहीं कर सकता। इसलिए, शिक्षक, छात्र, अभिभावक, शिक्षाविद, बुद्धिजीवी और नेकदिल लोग शिक्षा बचाने के लिए बड़ी शिद्दत के साथ जोरदार आंदोलन विकसित करने की तीव्र इच्छा रखते हैं।

इसलिए वे 'ऑल इण्डिया सेव एजुकेशन कमेटी' (एआईएसईसी) के बैनर तले एकजुट हुए हैं, जिसने एसईपी-2020 और शिक्षा के विनाश के विरुद्ध विभिन्न रूपों में एक एकजुट और निरंतर आंदोलन का नेतृत्व किया है, जैसे कि संगोष्ठियों का आयोजन, विचारों का आदान-प्रदान और इस घृणित योजना के विरुद्ध जनमत तैयार करना। इसे समाज के सभी वर्गों से स्वत:स्फूर्त समर्थन प्राप्त हुआ और वरिष्ठतम शिक्षाविदों, इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और अन्य बुद्धिजीवियों ने भी उत्साहपूर्वक समर्थन किया। एआईएसईसी ने अपनी गतिविधियों को केवल नियमित प्रदर्शनात्मक कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं रखा। इसने प्रख्यात शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के सक्रिय सहयोग से, 'वैकल्पिक जन शिक्षा नीति-2025' का एक मसौदा तैयार किया है, जो एनईपी-2020 के समर्थकों के हर द्वेषपूर्ण तर्क और शिक्षा प्रणाली पर आयी इस आपदा का प्रतिकार करता है।

जन संसद का आह्वान

'वैकल्पिक जन शिक्षा नीति-2025' का यह मसौदा कोई अकादमिक संवाद नहीं है। इसे सुझावों, विचारों, सिफारिशों, संशोधनों और परिवर्तनों के माध्यम से सुधार हेतु जन-जन में ले जाया जा रहा है। एआईएसईसी ने पूरे देश में इस कठिन कार्य को अपने ऊपर ले लिया है। सभी सुझावों और संशोधनों को प्राप्त करने और उन्हें तर्क और तार्किकता की कसौटी पर कसने के बाद, 24 जनवरी 2026 को बेंगलुरु में आयोजित होने जा रही 'जन संसद' में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। शिक्षा बचाने के जनांदोलन के जोर से ही सरकार को शिक्षा की हत्या के विनाशकारी रास्ते से पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ●

कॉमरेड आर.पी. सिंह का देहांत

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), दिल्ली के एक प्रमुख और वरिष्ठ सदस्य, कॉमरेड राजपाल सिंह ने 12 नवंबर, 2025 को अंतिम सांस ली। वे 73 वर्ष के थे। कई बीमारियों से ग्रस्त होने के कारण वे पिछले कई वर्षों से अस्वस्थ चल रहे थे। वे कॉमरेड आर.पी के रूप में जाने जाते थे। वे 1975 में आपातकाल के दौरान पार्टी से जुड़े और उन्हें सर्वहारा वर्ग के महान नेता और हमारी पार्टी के संस्थापक महासचिव कॉमरेड शिवदास घोष से भी मिलने का अवसर मिला। वे दिल्ली जल बोर्ड में नौकरी करते थे। महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं को लेकर उन्होंने पार्टी के एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। यह वह समय था, जब दिल्ली में पार्टी बनने की शुरुआत हो रही थी और मुट्ठीभर लोग इस महान क्रांतिकारी काम में लगे हुए थे। वे वर्षों तक दिल्ली से जुड़े गाजियाबाद में पार्टी एवं ट्रेड यूनियन के विकास और गतिविधियों की देखरेख करते रहे। बाद में कुछ पारिवारिक समस्याओं के चलते प्रबल इच्छा के बावजूद वे पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को अपनी सेवा न दे सके, जिसका मलाल उन्हें अंतिम समय तक रहा।

शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद वे पार्टी कार्यक्रमों में शामिल होते थे, जूनियर कामरेडों को प्रोत्साहित करते थे और पार्टी नेतृत्व को भी समय-समय पर पार्टी कार्यों के प्रति आगाह करते रहते थे। वे उच्च चरित्र व समझदारी के धनी थे। दिल्ली में पार्टी के विकास में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।

कॉमरेड आर पी सिंह लाल सलाम

महिलाओं के खिलाफ अपराधः एक गहन विश्लेषण

दैनिक समाचार पत्र खोलिए और आपको देश के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की कम से कम पांच-छह घटनाएं मिल जाएंगी। इनमें सबसे आम घटनाएं बलात्कार या सामूहिक बलात्कार की होती हैं। अक्सर बलात्कार पीड़ितों की अमानवीय तरीके से हत्या कर दी जाती है। बलात्कार, जो कभी एक वर्जित शब्द था, अब किशोरों और उनसे भी छोटे बच्चों की जुबान पर है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम आंदोलन के दौरान भी, हमने देखा था कि तत्कालीन सीपीआई (एम)-नीत राज्य सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार, एक जायज जन आंदोलन को दबाने के लिए निर्दोष महिलाओं से बलात्कार और सामूहिक बलात्कार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था।

हमारे देश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हर एक मिनट में महिलाओं के खिलाफ एक अपराध दर्ज होता है। बलात्कार के अलावा, सभ्य समाज में अकल्पनीय क्रूरताएं महिलाओं के खिलाफ की जाती हैं। ये अन्याय-अत्याचार पुरुष प्रधानता में अंतर्निहित शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दुर्व्यवहार की एक विस्तृत श्रृंखला को अपने घेरे में लिये हुए हैं। ये उल्लंघन परिवारों, समुदायों, शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों, सड़कों पर, यहां तक कि पुलिस-फौज सहित प्रशासन में भी होते हैं और ज्यादातर मामलों में राज्य एक सहभागी बना रहता है। ऐसे कुछ हमलों की श्रेणी में कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या, दहेज हिंसा और दुल्हन दहन, नारी हत्या, तेजाबी हमले, अंतरंग साथी के साथ मारपीट-हिंसा, महिला जननांग भंग, ऑनर किलिंग, बच्चियों और महिलाओं का देह-व्यापार, जबरन बाल विवाह के अलावा साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, डॉक्सिंग (निजी जानकारी जारी करना) और किसी की अंतरंग तस्वीरों का बिना उसकी सहमति के वितरण जैसे ऑनलाइन व प्रौद्योगिकी से सुलभ बनाये गये हिंसक हमले शामिल हैं। इसमें व्यवस्था जनित हिंसा भी शामिल है, जो भेदभावपूर्ण कानूनों, रीति-रिवाजों और नीतियों से उत्पन्न होने वाली प्रणाली के कारण होती है। इनमें स्त्री-द्वेषी फब्तियां, असमान वेतन और महिलाओं की आवाजाही की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं और यह सब हिंसा के व्यक्तिक कृत्यों को प्रभावित करता है और बढ़ावा देता है। युद्ध में हिंसा—युद्ध और सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में यौन उत्पीड़न करने, यौन गुलामी कराने और जबरन गर्भवती कर देने के कृत्यों के सहारे युद्ध के हथियार के रूप में महिलाओं को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। यहां तक कि एक महीने, छह महीने, एक साल और उससे भी कम उम्र की बच्चियों को भी ऐसे यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि मौजूदा 151 सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मुकदमे चल रहे हैं। इस तरह की सड़ांध को यह गया-गुजरा पूंजीवादी तंत्र दिन-ब-दिन पनपा रहा है।

विडंबना यह है कि चुनावी राजनीति करने वाली बुर्जुआ और पेटी-बुर्जुआ पार्टियां महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऐसे जघन्य अपराधों के लिए एक-दूसरे पर उंगली उठाती हैं। अगर किसी राज्य में भाजपा सत्ता में है, तो कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई (एम) आदि सरकार पर आरोप लगाने में मुखर होती हैं। दूसरी ओर, जब टीएमसी-शासित पश्चिम बंगाल या सीपीआई (एम)-शासित केरल में ऐसी कोई घटना होती है, तो भाजपा अपने विरोध का स्वर ऊंचा कर देती है। मुद्दा यह है कि पूंजीवादी वर्ग हित के अधीन और बुर्जुआ चुनावी राजनीति से तालमेल बिठाने वाली इन सभी पार्टियों के लिए यह करना स्वाभाविक ही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2023 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या सबसे ज्यादा दर्ज की गयी। जबकि महाराष्ट्र संख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर है, राजस्थान तीसरे, उसके बाद पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का स्थान है। यहां नामित पांच राज्यों में से चार में भाजपा सत्ता में है। आरोपों से बचने के लिए यूपी और महाराष्ट्र सरकारों ने तुरंत यह बहाना बनाया है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े आबादी वाले राज्यों में स्वाभाविक रूप से अपराधों की संख्या ज्यादा होगी। यूपी सरकार भी ज्यादा संख्या में दर्ज अपराधों का कारण बखान करती है। पश्चिम बंगाल सरकार भी यही करती है।

दूसरी ओर, राज्य पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, केरल में बलात्कार की घटनाओं में पिछले दशक में वृद्धि का रुख रहा है। हाल के वर्षों में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। प्रमुख मामलों में उत्पीड़क अक्सर पीड़िता के अपने जानकार होते हैं और पीड़िताओं का एक बड़ा अनुपात नाबालिगों का होता है। कुछ ही दिन पहले, गुजरात में हुए नरसंहार के दौरान गर्भवती बिलकिस बानो के साथ बलात्कार के आरोपी 11 अपराधियों को, जिन्हें तिकड़मबाजी के जरिये जेल से रिहा कराया गया था, हिंदुत्व कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मानित किया गया था। इसी तरह, यूपी के उन्नाव में भाजपा नेता और विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में अपने आवास पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। 2020 के हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले में मृत पीड़िता तथाकथित दलित लड़की का अंतिम संस्कार पुलिस ने सुबह सवेरे बिना किसी औपचारिकता के और बिना उसके परिवार की सहमति के कर दिया था। हाथरस एससी-एसटी अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए चार में से तीन आरोपियों को बरी कर दिया और एक व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया। यूपी पुलिस द्वारा जांच को निपटाये जाने के तरीके—जिसमें पीड़िता के परिवार की मर्जी के खिलाफ उसका जल्दबाजी में अंतिम संस्कार शामिल था—ने राष्ट्रव्यापी आक्रोश पैदा किया था और राज्य की भाजपा सरकार पर मामले को दबाने के आरोप लगे थे। कुछ टिप्पणीकारों का मानना था कि अधिकारियों ने ऊंची जाति के अपराधियों का पक्ष लिया, क्योंकि भाजपा की राजनीतिक निर्भरता ऊंची जाति के मतदाताओं पर है। साकीनाका बलात्कार और हत्या (2021) और बीड में सात महीने में 400 पुरुषों द्वारा एक नाबालिग का सामूहिक बलात्कार (2021) महाराष्ट्र में हुए दो वीभत्स काण्ड हैं। बीड सामूहिक बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एक दशक लंबे संघर्ष को तब गहरा झटका लगा, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसके हमलावरों की सजा को पलट दिया, जबकि वह सामाजिक बहिष्कार से जूझती रही। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से जून 2025 के बीच सामूहिक बलात्कार के 200 से ज्यादा मामले दर्ज किये गए। दुखद रूप से, इस अवधि के दौरान बलात्कार के बाद पांच लड़कियों की हत्या भी कर दी गई। केरल के पठानमथिट्टा की एक 18 वर्षीय दलित लड़की ने 64 पुरुषों पर 13 साल की उम्र से उसके साथ यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अंदर एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की क्रूर हत्या और सामूहिक बलात्कार के मामले ने पूरे देश में खलबली मचा दी थी। लेकिन कथित दोषियों को आज तक कड़ी सजा नहीं दी गई है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के साथ उनके करीबी ताल्लुकात बताये जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले, पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरे वर्ष की एमबीबीएस छात्रा को कथित तौर पर उसके कॉलेज परिसर के बाहर घसीटकर रात में बलात्कार किया गया था। पुलिस ने कहा कि इस बारे में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए राज्य की तृणमूल कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने पूछा कि वह आधी रात को बाहर क्यों थी (तथ्य यह है कि पीड़िता शाम 7.30 बजे के आसपास बाहर निकली थी)। दिल्ली के निर्भया दामिनी मामले में तत्कालीन दिल्ली पुलिस प्रमुख नीरज कुमार ने कहा था: ''महिलाओं को देर रात बाहर नहीं जाना चाहिए।'' अविश्वसनीय! पीड़िता को दोषी ठहराया जाता है, अपराधी को नहीं। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह एक सभ्य सरकार के पुलिस-प्रशासन की नहीं है? यूपी के भाजपाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा था, '' स्त्री सर्वथा स्वतंत्र या मुक्त छोड़ने योग्य नहीं है।... उनकी 'ऊर्जा/शक्ति' को सही दिशा देना चाहिए या नियंत्रित करना चाहिए ताकि वह बेकार और विध्वंसक न हो जाए।'' 1990 में पश्चिम बंगाल में सीपीआई (एम) शासन के दौरान जब एक महिला सरकारी अधिकारी से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर उसके नग्न शरीर को अपराधियों द्वारा धान के खेत में फेंक दिया गया, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने इस घटना की गंभीरता को कम करते हुए इसे ''सामान्य'' बताया था और सुझाव दिया था कि ऐसे ''असामाजिक कृत्य'' हर जगह होते हैं। देखिए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी से बचने के मामले में वे सभी एकमत हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में संलिप्त असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रति उनके लापरवाह रुख-रवैया और बेरुखी के चलते अपराधियों के बच निकलने से महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है।

कोई भी पैदाइशी मुजरिम या बलात्कारी नहीं होता। यह तो जीर्ण-शीर्ण और नैतिक रूप से अपंग पूंजीवादी समाज है, जो व्यक्तियों को मुजरिम और बलात्कारी बना रहा है।

यह व्यवस्था संचार के हर माध्यम—चाहे वह किताब हो या फिल्म हो या टीवी हो या सोशल मीडिया—इनसे अश्लीलता और भोंडेपन के प्रसार से महिलाओं को भोग-विलास की चीज बनाने को बढ़ावा दे रही है, लगातार यौन विकृति और पथभ्रष्ट मानसिकता को बढ़ावा दे रही है और इस प्रकार महिलाओं की गरिमा को अपमान के प्रति असुरक्षित बना रही है। वोट बटोरू चुनावी बुर्जुआ और पेटी-बुर्जुआ राजनीतिक पार्टियां सत्ता में बने रहने या सत्ता में आने के लिए असामाजिक तत्वों और मुजरिमों के गिरोह पालती हैं, जो चुनाव के दौरान हिंसा करने, राजनीतिक विरोधियों को डराने-धमकाने, जरूरत पड़ने पर लोगों को आतंकित करने और रंगदारी-फिरौती वसूली करने, सार्वजनिक धन का गबन-घोटाला करने आदि सहित विभिन्न अपराधों के लिए रैकेट चलाने में उनके प्यादों के तौर पर काम करते हैं।

अपराधी भी शासक पार्टियों के पीछे इसलिए लामबंद होते हैं ताकि उन्हें कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाये और वे दंडात्मक कार्रवाई से बचे रहें। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा, सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करने का सवाल इस सड़े-गले बदबूदार पूंजीवादी समाज को उखाड़ फेंकने के संघर्ष से ओत प्रोत रूप से जुड़ा हुआ है। ■

पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ कैंपस में लाठीचार्ज की दमनात्मक कार्रवाई की

एआईएसईसी ने की कड़ी निंदा

पटियाला (पंजाब) : 10 नवम्बर को पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ कैंपस में पुलिस ने जिस तरह से लाठी चार्ज किया उस दमनात्मक कार्रवाई को बेहद शर्मनाक व निन्दनीय करार देते हुए ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी (एआईएसईसी) की पंजाब-चण्डीगढ़ इकाई ने इसका कड़ा विरोध किया। इस दमनात्मक कार्रवाई में बहुत से छात्रों, अध्यापकों समेत शिक्षा-प्रेमी लोग घायल हुए हैं। पंजाब विश्वविद्यालय समेत शिक्षा संस्थानों में बची-खुची स्वायत्तता और थोड़े से मुक्त परिवेश को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने सीनेट को भंग करने के जो निन्दनीय काला फरमान जारी किया था, उसका विश्वविद्यालय कैंपस समेत पूरे पंजाब में कड़ा विरोध किया गया और उसके दवाब में केंद्र सरकार को उसे वापस लेना पड़ा।

इस पर एआईएसईसी, पंजाब के अध्यक्ष डा. श्याम सुंदर दीप्ति और प्रदेश सचिव प्रोफेसर अमीन्द्रपाल सिंह ग्रेवाल ने 11 नवम्बर को जारी प्रेस बयान में खुशी प्रकट की और इसे सही समय पर सही कदम बताकर इसकी सराहना की। पहले दिन विद्यार्थियों द्वारा सीनेट का चुनाव कराने और विश्वविद्यालय में जनतांत्रिक माहौल बहाल करने का भी उन्होंने समर्थन किया और केंद्र सरकार से इस तरह नाजायज कार्रवाई से बाज आने की पुनः एक बार मांग की है। उन्होंने कहा कि सिनेट को भंग कर काला फरमान न केवल पंजाब के लोगों के शैक्षणिक अधिकारों पर डाका है, बल्कि केंद्र में बैठी भाजपा-आरएसएस सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का कुफल है। भाजपा सरकार ने इस सोची-समझी शिक्षा नीति को कोरोना काल में बनाया था, जिसके अन्तर्गत एक तरफ शिक्षा को महंगा करना, पाठ्यक्रम से प्रगतिशील पहलुओं को निकाल बाहर करना, विज्ञानसम्मत तार्किक दृष्टिकोण का गला घोंटना, इतिहास को तोड़ना-मरोड़ना और दूसरी तरफ पंजाब विश्वविद्यालय समेत तमाम शिक्षण संस्थानों में थोड़ी-बहुत बची-खुची स्वायत्तता व मुक्त माहौल को समाप्त कर शिक्षा का केंद्रीकरण व घोर जकड़बन्दी करना है। इसके जरिये भाजपा-आरएसएस सरकार चंद बड़े पूंजीपति कॉर्पोरेट घरानों के हित-स्वार्थों को साधने के लिए शिक्षा में कटौती और मध्ययुगीन संकीर्णता को थोपना चाहती है।

दोनों शिक्षाविदों ने बताया कि ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की पहल पर मोदी सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विस्थापित करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान के जरिये वैकल्पिक 'जनपक्षीय शिक्षा नीति' का मसौदा तैयार किया गया है। उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और शिक्षाप्रेमियों से अपील की कि इस जन पक्षीय शिक्षा नीति को लागू कराने के लिए आवाज उठायें ताकि पंजाब विश्वविद्यालय जैसे काला फरमान देश में कहीं भी जारी करने से रोका जा सके।

नशाखोरी की बढ़ती समस्या के खिलाफ जनसभा

दिल्ली : नशाखोरी और महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) और अशफाक बिस्मिल कल्चरल क्लब की तरफ से 9 नवंबर को यहां बटला हाउस में पहलवान चौक पर एक जनसभा की गयी, जिसकी अध्यक्षता एआईएमएसएस की ओखला क्षेत्र की अध्यक्ष रिजवाना खातून ने की। इसमें क्षेत्र की महिलाओं, छात्र-छात्राओं, युवक-युवतियों और मजदूरों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

सभा को मुख्य वक्ता के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता आरके शर्मा, एआईएमएसएस की दिल्ली राज्य अध्यक्ष सीता सिंह, उपाध्यक्ष शारदा दीक्षित, सचिव रितु कौशिक, सचिवमंडल सदस्य आशा रानी और कैफ हसन ने संबोधित किया। सभा को अशफाक बिस्मिल कल्चरल क्लब के सचिव सिराज के अलावा अन्य सदस्यों नियाज, मुस्कान और एहसान ने भी संबोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते नशाखोरी और अश्लीलता को अत्यधिक बढ़ावा मिल रहा है। एक तरह स्कूल-कॉलेज में बेतहाशा फीस वृद्धि के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में हताश होकर युवा आसानी से उपलब्ध नशे की गिरफ्त में जाते जा रहे हैं। नतीजतन, देश का सामाजिक-सांस्कृतिक माहौल बिगड़ रहा है। महिलाओं और बच्चियों पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रतिदिन 90 महिलाओं से बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है नशाखोरी की बढ़ती समस्या।

वक्ताओं ने सभी लोगों से नशाखोरी की बढ़ती समस्या को खत्म करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने और इस मुहिम में वॉलंटियर बनने का आह्वान किया ताकि दिल्ली को नशामुक्त किया जा सके।

कार्यक्रम के अंत में नशा-विरोधी जागरूकता अभियान में हिस्सा लेने वाले छात्रों को प्रशंसा पत्र प्रदान किये गए।

महिला सम्मेलन ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

अश्लीलता की महामारी को नियंत्रित करने की बजाय सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। यही कारण है कि महिला अपराधों में तेजी आयी है। उन्होंने कहा कि जब तक महिलाएं और समाज संगठित होकर इन बुराइयों के खिलाफ खड़ी नहीं होंगी, तब तक हालात नहीं बदलेंगे।

10 नवंबर को स्थानीय गणेश गार्डन में प्रतिनिधि अधिवेशन हुआ, जिसमें पूरे प्रदेश से आये सैकड़ों राज्य से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसकी शुरुआत एआईएमएसएस की अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड केया डे द्वारा संगठन के झण्डोत्तोलन के साथ हुई। इसके बाद महिला और जनआंदोलनों में अपने प्राणों की आहुति देने वाली सभी महिलाओं की याद में एक शोक प्रस्ताव और श्रद्धांजलि दी गई। कुछ ज्वलंत मुद्दों को रखते हुए मुख्य प्रस्ताव के साथ-साथ तीन अन्य प्रस्ताव भी सदन में सर्वसम्मति से पारित किये गये।

संगठन की अखिल भारतीय महासचिव कॉमरेड छवि मोहंती ने प्रतिनिधियों को संबोधित किया।

कार्यक्रम में एसयूसीआई (सी) पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड प्रदीप आरबी ने भी इन अपराधों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इनके खिलाफ इस महिला आंदोलन और सम्मेलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि समाज को नैतिक पतन की ओर धकेला जा रहा है। यहां छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, महिलाएं, बच्चे–सभी बढ़ती महंगाई, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अश्लीलता-अपसंस्कृति और अपराधों का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ बड़े पैमाने पर जोरदार जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत पर बल दिया।

इस अवसर पर नई राज्य कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सचिवमंडल, राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद बनायी गयी। इसकी अध्यक्ष कॉमरेड रचना अग्रवाल, सचिव कॉमरेड विद्या आर.पी., कार्यालय सचिव कॉमरेड आरती शर्मा और कोषाध्यक्ष कॉमरेड भूमिका पवार चुनी गयीं।

कार्यक्रम का संचालन अध्यक्षमंडल द्वारा किया गया, जिसमें राज्य अध्यक्ष कॉमरेड जोली सरकार, राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड मनोरमा शर्मा और कॉमरेड संगीता आर. बी. शामिल रहे।

इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिलाओं की दशा पर आधारित कुछ गीत, नृत्य व नाटक प्रस्तुत किये गये। नृत्य शिक्षिका शिखा सोनी व उनकी पुत्री द्वारा एक शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी गई। सभी महिलाओं ने संगठन को मजबूत कर आंदोलन तेज करने के दृढ़ संकल्प लिया।

बाढ़, जलभराव और बरसाती पानी की निकासी की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर हरियाणा में विभिन्न जिलों में सभी किसान संगठनों ने किसानों और खेत मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं के प्रति सरकार के बेरुखे रवैये को लेकर 10 नवम्बर को जिला सचिवालयों पर विरोध प्रदर्शन किये, धरने दिये और उपायुक्त की मार्फत मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों के ज्ञापन दिये।

जलभराव व बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा 50000 रुपये प्रति एकड़ की दर से जल्दी जारी करने और बाढ़ प्रभावित किसानों तथा अन्य लोगों को सरकार द्वारा घोषित राहत राशि मुहैया करवाने, जिन गांवों में जलभराव की समस्या है, उनके लिए विशेष बजट जारी करते हुए इस समस्या का स्थाई समाधान करने, बाजरे और धान की फसलों में हुई किसानों की लूट तथा बाहर से आने वाले धान की उच्च स्तरीय जांच करवाने, खरीफ फसलों का किसानों को सरकार द्वारा घोषित एमएसपी न मिलने से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को आर्थिक मदद देने, धान की फसल में नमी प्रतिशत 17% की बजाय 22% करने, पिछले सालों से लंबित मुआवजे तुरंत जारी करने, बीमा कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने, किसानों को खाद देने के लिए शुरू किये गये पोर्टल या ऑनलाइन पंजीकरण आदि की शर्तें हटाने, किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी आदि खाद समय पर उपलब्ध कराने, खाद के साथ अन्य सामग्री जबरदस्ती देने वाले खाद विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और बिजली बिल संशोधन अधिनियम 2025 व स्मार्ट मीटर योजना को वापस लेने, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुन:स्थापन हरियाणा संशोधन विधेयक 2021 को रद्द करने, सहकारी समितियों में नये एमसीएल बनाये जाने, प्रदेशभर में रोके गये मनरेगा के कार्यों को तुरंत शुरू करने और 200 दिन काम और 800 रुपये दिहाड़ी देने, 10000 रुपये प्रति माह बुढ़ापा पेंशन देने, कर्जमुक्त करने, नशे पर रोक लगाने, गन्ने का रेट बढ़ाने, लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने, आवारा पशुओं की समस्या हल करने और पशु मेले खोलने आदि 20 मांगों का ज्ञापन दिया गया।

इस अवसर पर झज्जर में प्रदर्शनकारियों को संयुक्त किसान मोर्चे के घटक अन्य किसान संगठनों के नेताओं के अलावा एआईकेकेएमएस के हरियाणा राज्य सचिव कॉमरेड जयकरण मांडौठी ने भी संबोधित किया।

सोनीपत में भी डीआरओ सुशील कुमार की मार्फत ज्ञापन दिया गया। धरने की अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य कॉमरेड श्रद्धानंद सोलंकी ने की। संचालन कॉमरेड ईश्वर सिंह राठी ने किया। अन्य वक्ताओं में एआईयूटीयूसी के राज्य सचिव कॉमरेड हरि प्रकाश, भगत सिंह, सीलक राम मलिक, ब्रह्म सिंह दहिया, योगेश कुमार, वेद सिंह आदि रहे।

भिवानी में संयुक्त किसान मोर्चा, हरियाणा के आह्वान पर डीसी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर अत्यधिक बारिश, जलभराव और बाढ़ से बर्बाद हुई खरीफ 2025 की फसलों का मुआवजा, बोनी जीरी और वायरस से संक्रमित फसलों का मुआवजा और आर्थिक और मानवीय नुकसान का मुआवजा देने सहित 20 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया। इसमें ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन और किसान सभा के साथी शामिल रहे। एआईकेकेएमएस के जिला अध्यक्ष कॉमरेड रोहताश सिंह सैनी ने भी सभा को सम्बोधित किया।

शहीद करतार सिंह सराभा को याद किया

सोनीपत (हरियाणा) : ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ) की तरफ से 16 नवंबर को आजादी आंदोलन के महान शहीद करतार सिंह सराभा का 110वां शहीदी दिवस सोनीपत जिले के बाजीदपुर सबोली गांव में मनाया गया। इसमें मुख्य वक्ता एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के हरियाणा राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड ईश्वर सिंह राठी रहे। साथ ही दिल्ली से एआईयूटीयूसी की नेता कॉमरेड प्रकाश देवी ने भी अपनी बात रखी। इस शहादत कार्यक्रम का संचालन एआईडीवाईओ के नेता कॉमरेड भारत द्वारा किया गया।

करतार सिंह सराभा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कामरेड ईश्वर सिंह राठी ने आजादी आन्दोलन की गैर समझौतावादी धारा के क्रान्तिकारी शहीद करतार सिंह सराभा के जीवन-संघर्ष पर प्रकाश डाला। वे 19 साल की उम्र में शहीद हो गये थे। करतार सिंह सराभा अमेरिका के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उनका व्यक्तिगत भविष्य बहुत ही उज्जवल था, परंतु उन्होंने कैरियररिज्म के बजाय क्रांतिकारी आंदोलन में अपना जीवन देना जरूरी समझा। आज इन समस्याओं के खात्मे के लिए देश के करोड़ों नौजवानों को सोचना चाहिए। उनके जीवन से यही एकमात्र शिक्षा मिलती है। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

सभा के अंत में एआईडीवाईओ की तरफ से साथी सुमित ने क्रांतिकारी गाना सुनाया।

सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड प्रकाश देवी

आंदोलन के दबाव से केरल में पीएम श्री प्रोजेक्ट स्थगित

तिरुवनंतपुरम : राज्य सचिवालय की ओर कूच कर रहे छात्र-छात्राओं पर पानी की बौछारें

तिरुवनंतपुरम (केरल) : केरल सरकार ने हाल ही में पीएम श्री योजना के तहत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर दिये थे। यह समझौता एबीवीपी को छोड़कर सभी छात्र संगठनों और सत्तारूढ़ एलडीएफ के एक प्रमुख घटक दल सीपीआई द्वारा उठायी गई आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए गुप्त रूप से किया गया था। सीपीआई (एम) अपने फैसले को यह दावा करके सही ठहरा रही थी कि पीएम श्री योजना को राज्य द्वारा लागू न करने के आधार पर रोके गये केंद्रीय धन को सुरक्षित करने के लिए यह समझौता ज्ञापन जरूरी था। हाल ही में एक चर्चा के दौरान, राज्य के शिक्षा मंत्री श्री वी शिवनकुट्टी ने टिप्पणी की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में ''कुछ भी गलत नहीं'' है और इसका अनिश्चित काल तक विरोध नहीं किया जा सकता - यहां तक कि यह भी संकेत दिया कि एनईपी के खिलाफ उनका पिछला रुख अब बदल गया है।

पीएम श्री प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है–प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट फॉर राइजिंग इंडिया। इस प्रोजेक्ट को लाने का मुख्य मकसद केंद्र की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी-2000 को लागू करना है। इसके लिए सरकार अलग-अलग राज्यों के हर ब्लॉक से दो स्कूल चुनेगी और करीब साढ़े चौदह हजार स्पेशल टाइप के स्कूल बनायेगी। ये स्कूल पूरी तरह से केंद्र सरकार के कंट्रोल में होंगे। पाठयक्रम और पाठयपुस्तकें केंन्द्रीय नियामक बोर्ड तय करेगा। इसी बात पर शिक्षा प्रेमी लोगों और छात्र समुदाय ने एतराज जताया।

एतराज की पहली वजह यह है कि यह फेडरल सिस्टम के खिलाफ है। दूसरी वजह यह है कि शिक्षा को विज्ञान आधारित बनाने के बजाय, यह साम्प्रदायिक सोच भर देगी। मोदी सरकार यही चाहती है, इसका सबूत यह है कि एनसीईआरटी द्वारा सिलेबस में ऐतिहासिक घटनाओं को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है, वैज्ञानिक सोच को नकारा जा रहा है। जाहिर है कि पढ़ा-लिखा वर्ग इसके विरोध में मुखर है।

पीएम श्री प्रोजेक्ट स्कूलों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 60 प्रतिशत फंड देता है। बाकी 40 प्रतिशत राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य को एक तय समय सीमा के अंदर केंद्र से मिले फंड का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करना होता है। राज्यों को टाइम लिमिट के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को पांच साल तक चलाना जरूरी है।

केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए राज्यों पर निर्भर है। उसने अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से मिलने वाला पैसा जारी करना रोक दिया है। केंद्र की भाजपा सरकार ने केरल में सीपीआई (एम)-नीत राज्य सरकार के 1400 करोड़ रुपये रोककर पूरे एजुकेशन प्रोजेक्ट को भी रोक दिया है।

केंद्र सरकार के इस भेदभाव वाले, बदले की भावना वाले व्यवहार के खिलाफ लोगों को शामिल करके सत्ताधारी सीपीआई (एम) एक जोरदार आंदोलन खड़ा कर सकती थी। लेकिन केंद्र के खिलाफ आंदोलन करने के बजाय, केरल सरकार ने प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए मोदी सरकार के साथ एक एमओयू साइन किया। सरकार द्वारा पीएम श्री योजना पर हस्ताक्षर किये जाने के विरोध में एआईडीएसओ, एआईडीवाईओ और एआईएमएसएस ने यहां 27 अक्टूबर को केरल सचिवालय तक संयुक्त रूप से मार्च निकाला और इस समझौते को रद्द करने की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वॉटर केनन से पानी की बौछार की (फोटो)। सीपीआई (एम)-नीत राज्य सरकार के इस रवैये की वामपंथी और पढ़े-लिखे लोगों ने निन्दा की। आंदोलन के दबाव में सरकार ने इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए रोक दिया है।

कॉमरेड तालुकदार की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित

बदलापुर जौनपुर: शोक सभा को संबोधित करते हुए कॉमरेड बेचन अली

बदलापुर जौनपुर, उ.प्र।

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी के जौनपुर जिला कमेटी सदस्य व एआईकेकेएमएस के उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड तालुकदार का 18 अक्टूबर को असमय देहांत हो गया था। वे 51 वर्ष के थे। दिवंगत कॉमरेड की याद में 6 नवम्बर को महराजगंज क्षेत्र में सराय पड़री चौराहे के निकट केवटली रोड पर स्थित विद्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गयी।

शोक सभा की अध्यक्षता कॉमरेड अलगूराम पटेल ने की और संचालन कॉमरेड शिवप्रसाद विश्वकर्मा ने किया। मुख्य वक्ता एसयूसीआई (सी), पूर्वी उत्तर प्रदेश के राज्य सचिव कॉमरेड रविशंकर मौर्य ने कॉमरेड तालुकदार के जीवन-संघर्ष पर विस्तार से चर्चा की।

वक्ताओं में कॉमरेड बेचन अली, कॉमरेड अशोक कुमार खरवार, कॉमरेड मिथिलेश कुमार मौर्य, कॉमरेड प्रमोद कुमार शुक्ल, कॉमरेड इन्दुकुमार शुक्ल, कॉमरेड दिलीप कुमार खरवार, कॉमरेड रामशरन विश्वकर्मा, कॉमरेड राजमणि मिश्रा, कॉमरेड रामकुमार, कॉमरेड छोटेलाल, कॉमरेड देवनारायण मौर्य, कॉमरेड मनोज कन्नौजिया, कॉमरेड प्रवीण विश्वकर्मा, कॉमरेड रवीन्द्र पटेल, कॉमरेड रामप्रसाद व अन्य ने भी अपने विचार रखे।

अंत में एसयूसीआई (सी) पार्टी के संस्थापक कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गीत प्रस्तुत किया गया और दो मिनट मौन रखते हुए सभा समाप्त की गई।

कॉमरेड तालुकदार - लाल सलाम

हस्पताल बनाने की मांग को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल

रेवाड़ी (हरियाणा) : एन एच-71 भगवानपुर पंचायती जमीन पर हस्पताल बनाने के संदर्भ में मुख्यमंत्री नायब सैनी, हरियाणा सरकार के बुलावे पर रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी, रेवाड़ी का एक प्रतिनिधिमंडल 11 नवंबर को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास श्री कबीर कुटिया पर उनसे मिला। प्रतिनिधिमंडल में अनिल कुमार, सरपंच प्रतिनिधि भगवानपुर, सुबेदार सतीश यादव, बीरेंद्र सिंह फौजी, भूतपूर्व सैनिक, अभय सिंह फिदेड़ी, कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट, शेर सिंह मीरपुर एवं उत्तम यादव थे।

मुख्यमंत्री के साथ दो चरणों में सकारात्मक वार्ता संपन्न हुई।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने चंडीगढ़ से आकर बताया कि मुख्यमंत्री ने संघर्ष कमेटी की हस्पताल की मांग को सही ठहराया और संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन भी किया और कहा कि निश्चित तौर पर सरकार भगवानपुर की 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला पंचायती जमीन अपने नाम करवा लेगी। मांग को निकट भविष्य में पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल से आग्रह किया कि क्रमिक अनशन व धरना खत्म कर दें।

मुख्यमंत्री और प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता के बारे में प्रतिनिधिमंडल ने धरना स्थल पर आकर कोर कमेटी को वाकिफ कराया। इस पर विचार-विमर्श कर धरना स्थल पर सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री के आग्रह पर क्रमिक अनशन खत्म किया जा रहा है, परंतु कारगर जीत हासिल होने तक धरना विधिवत जारी रहेगा।

रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सकारात्मक बातचीत करने एवं मांग को मानने का पूरा भरोसा देने पर एवं धरना खत्म करने के उनके आग्रह का सम्मान करते हुए क्रमिक अनशन स्थगित कर दिया गया, परंतु धरने के रूप में आंदोलन यथावत जारी रहेगा। समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री व जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया जाएगा ।

PRGI Regn. No. 43022

कितने घुसपैठिए? मनगढ़ंत जानकारियों के पीछे भाजपा की छिपी मंशा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विभिन्न स्तरों पर भाजपा के अन्य नेता लगातार कहते रहे हैं कि भारत में घुसपैठ एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है। उनका कहना है कि घुसपैठ के कारण देश, खासकर सीमावर्ती जिलों की जनसांख्यिकीय संरचना बदल रही है। इस बार अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि घुसपैठिए देश के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। नवंबर 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान, पश्चिम बंगाल में भाजपा ने प्रचार किया कि बांग्लादेश से मुसलमान पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रास्ते भारत में घुस रहे हैं, फिर संथाल लड़कियों से शादी कर रहे हैं और आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं। असम में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का लहजा और भी तीखा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बनकर उभरे हैं। फिर, हिमंत बाबू की बातों के आधार पर सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इतने लंबे अर्से के शासनकाल में इतना गंभीर राष्ट्रीय खतरा क्यों पैदा हो रहा है, वे इस्तीफा देने के बजाय, पद पर क्यों बैठे हैं?

घुसपैठ पर अभियान की दूसरी विशेषता पर गौर करें। नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इस अवसर पर, 17 अक्टूबर को पटना में एक जनसभा में अमित शाह ने कहा, ''घुसपैठ की समस्या गुजरात या राजस्थान में क्यों नहीं है? असम में अब घुसपैठ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है। मैं बंगाल के मतदाताओं से कह रहा हूं कि अगर घुसपैठ रोकनी है, तो दीदी की सरकार बदल दीजिए।'' (आनंदबाजार पत्रिका 19/10/25)। यह कथन दर्शाता है कि घुसपैठ वोट के लिए एक आकर्षक मुद्दा है।

कोई भी भारतीय नहीं चाहता कि विदेशी हमारे देश में प्रवेश करें और हमारे देश के संसाधनों पर कब्जा करें। कोई भी नहीं चाहता कि वे अवैध रूप से आयें और सरकारी लाभ छीन लें। नतीजतन, सरकार को घुसपैठ रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी सख्ती से निभानी चाहिए, इस संबंध में कोई ढिलाई या लापरवाही नहीं होनी चाहिए–यह लोगों की मांग है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो घुसपैठ के खिलाफ इतनी बातें कर रहे हैं, पिछले ग्यारह वर्षों से देश में सत्ता में हैं और फिर भी घुसपैठ हो रही है या जनसांख्यिकी बदल रही है, यह कैसे संभव है? लेकिन क्या मोदी के हाथों देश खतरे में है? गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेता कहते हैं कि हम भारत को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। लेकिन देखिए कितनी अजीब बात है! वे वही हैं, जिन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए सीएए कानून पारित किया है। अगर कोई हिंदू, ईसाई, बौद्ध या सिख बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आता है, तो उसे नागरिकता दी जायेगी और अगर कोई मुस्लिम आता है, तो उसे डिटेंशन कैंप भेज दिया जाएगा या वापस स्वदेश भेज दिया जाएगा–क्या यह सिर्फ पाखंड है? भाजपा सरकार का रुख यह साफ संदेश देने का है कि भाजपा हिंदुओं की रक्षक है। मुसलमानों का विरोध किये बिना वे हिंदू प्रेम नहीं दिखा सकते। उनकी राजनीति कितनी दिवालिया है! एक बात याद रखना जरूरी है–आर्थिक कारणों से एक देश से दूसरे देश जाने की घटना नौकरी और व्यापार की जरूरतों के लिए सभी देशों में हो रही है। कई मामलों में, भारत से कई लोग अवैध रूप से विदेश जा रहे हैं। इसी तरह, कुछ बांग्लादेश से भी आ सकते हैं। अगर वे आये हैं, तो उन पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलेगा। उनका आना कानूनी है या गैरकानूनी, यह अदालत तय करेगी। उन्हें राजनीति में घसीटने का क्या औचित्य है?

घुसपैठियों की संख्या को लेकर भाजपा के मनीषियों की अलग-अलग राय है। 2002 में केंद्र के पूर्व उप-प्रधानमंत्री और भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की संख्या कुल जनसंख्या की 25 प्रतिशत है। 2001 की जनगणना के अनुसार, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 8 करोड़ से कुछ अधिक है। इस हिसाब से आडवाणी के अनुसार पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की संख्या 2 करोड़ है। कुछ नेता यह संख्या 5 करोड़ भी बताते हैं। कुछ कहते हैं कि घुसपैठियों की कुल संख्या 10 करोड़ है। इस बार, 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से अपने भाषण में या 22 अगस्त को कोलकाता में अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि इस संख्या को दबा दिया। उन्होंने केवल घुसपैठियों का हौआ खड़ा कर दिया।

2016 की एक जानकारी देते हैं। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन गृह मंत्रालय ने कहा था कि भारत में दो करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। किसी को नहीं पता कि इन दो करोड़ की गिनती कैसे हुई, ये कहां रहते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक और जानकारी अखबार में छपी। इससे पता चलता है कि 2016 में कुल 1,601, 2017 में 907, 2018 में 884, 2019 में 1,109 और 2020 में 995 बांग्लादेशी भारत की सीमा में घुसते हुए पकड़े गये। यानी अवैध रूप से घुसते हुए पकड़े गये लोगों की यह संख्या औसतन प्रति वर्ष 1,000 से थोड़ी ज्यादा है।

क्या कहता है बीएसएफ का डेटा? बीएसएफ की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जनवरी 2019 से 28 अप्रैल 2022 तक कुल 4,896 बांग्लादेशी नागरिक भारत में घुसते हुए पकड़े गये। इनमें से 2023 में 2,406 और 2024 में 2,425 पकड़े गये। बीएसएफ ने यह जानकारी नहीं दी है कि ये सभी मुसलमान हैं। बीएसएफ द्वारा गिरफ्तारियों के बावजूद, कुछ घुसपैठें गुप्त रूप से हो सकती हैं। अगर ऐसा होता है, तो गृह मंत्री को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार कार्रवाई करने और उन्हें वापस भेजने की पहल करनी होगी। घुसपैठ के मुद्दे को एक के बाद एक राज्यों में विपक्षी सरकारों को हराने के लिए इस्तेमाल करके जनता को बताए बिना उन्होंने कितना कुछ किया है? तो क्या यह समझना मुश्किल है कि घुसपैठ एक वोट का मुद्दा मात्र है?

भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में 70 लाख रोहिंग्या शरणार्थी हैं। सैन्य जुंटा सरकार के अत्याचारों के कारण म्यांमार से कितने रोहिंग्या निकाले गये हैं? यह संख्या लगभग 10 लाख है। ये सभी भारत नहीं आये। वे बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में जा घुसे। कुछ भारत आये। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या 40,000 है, जिनमें से 1,000 से 1,200 पश्चिम बंगाल में हैं। 70 लाख की कहानी कहां से आती है?

अधिकारी साहब ने गत जुलाई में एक और दावा किया था। उन्होंने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में 1.25 करोड़ अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्या हैं। उन्होंने इस दावे के पीछे कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने यह संख्या हवा में गढ़ी। क्योंकि उनकी रणनीति मीडिया में घुसपैठ के मुद्दे को जिंदा रखना है। वोटों के ध्रुवीकरण का यह उनका हथियार है। घुसपैठ को लेकर यह खेल खेलते हुए भाजपा हाल ही में कुछ सवालों का सामना कर रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह विभाग की है। फिर गृह मंत्री अमित शाह को घुसपैठ में विफलता की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बयान के मद्देनजर अमित शाह ने सफाई दी, 'जिन्होंने बंगाल, कश्मीर और पंजाब की सीमाओं को देखा है, वे जानते हैं कि सीमाएं किसी शहर की सीधी सड़कों की तरह नहीं हैं। असंख्य नदियां, जंगल और पहाड़ हैं। भौगोलिक कारणों से, कांटेदार तार हर जगह लगाये जाते हैं और कभी-कभी 24 घंटे निगरानी संभव नहीं होती है (आनंदबाजार 19-10-2025)। फिर अमित शाह ने स्वीकार किया कि वह अपने कार्यालय के जरिए यह काम नहीं करवा पाये। यह उनके कार्यालय की एक गंभीर विफलता है। लेकिन अमित शाह को इस सवाल का जवाब देना होगा कि यह कैसे संभव है कि आम मुसलमान एक खतरनाक इलाके से, जहां प्रशिक्षित सैन्यकर्मी काम नहीं कर सकते, झुंड में भारत में घुस आये?

अमित शाह राज्यों पर दोष मढ़ने में माहिर हैं। राज्यों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस थाने या स्थानीय प्रशासन को यह क्यों नहीं पता कि घुसपैठिए किस गांव में घुसे हैं? देश की जनता ने केंद्र-राज्य के इस टकराव को कई बार देखा है। लोगों का मानना है कि इस मामले में दोनों सरकारों की भूमिका होनी चाहिए। अगर घुसपैठ वाकई होती है, तो केंद्र और राज्यों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार को राज्यों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अमित शाह इसे लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं हैं। उनका बस एक ही कहना है कि भाजपा को वोट दो। उनकी वोटों की चिंता घुसपैठ से कहीं ज्यादा है। समझा जा रहा है कि उनका जनसमर्थन काफी कम हो गया है। इसलिए बेमतलब का मुद्दा उठाना वोट की राजनीति का एक हथकंडा है।

घुसपैठ का शोर मचाकर भाजपा भय का माहौल बनाना चाहती है। 'भाजपा को वोट दो, वरना मुसलमान सब कुछ हथिया लेंगे!' जर्मनी में हिटलर ने भी अपनी सत्ता जमाने के लिए यहूदियों के खिलाफ ऐसी ही नफरत और द्वेष फैलाया था। उसके विनाश के नतीजतन, जर्मन राष्ट्र जैसा ज्ञान-विज्ञान में उन्नत राष्ट्र लगभग तबाह हो गया था। भाजपा भारत में भी यही नारा लगा रही है। इसका नतीजा भी उतना ही जहरीला होना है। यह एक तरह का फासीवाद है। लोगों को भ्रमित करो, उन्हें गलत समझो। उन्हें अविवेकी और अंधविश्वासी बनाओ। घुसपैठ के मामले में भाजपा यही कर रही है।

मूलभूत नागरिक समस्याओं के खिलाफ डीसी कार्यालय पर किया रोष प्रदर्शन

गुड़गांव (हरियाणा): सूरत नगर फेज 2 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के नेतृत्व में निवासियों ने मूलभूत नागरिक समस्याओं के खिलाफ 3 अक्टूबर को यहां डीसी कार्यालय पर रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सुपरिटेंडेंट, डीसी कार्यालय, अवनीश गोयल को सौंपा।

एसोसिएशन की ओर से निरंजन लाल ने धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इन गंभीर समस्याओं के कारण लोगों का जीवन 'नर्क' में तब्दील हो गया है।

सरवन कुमार गुप्ता, राजेश पटेल व अन्य निवासियों ने गंभीर एवं मूलभूत नागरिक समस्याओं पर प्रकाश डाला, जिनका सामना क्षेत्र को करना पड़ रहा है। सीवर ओवरफ्लो की समस्या है। धनवापुर से दौलताबाद रोड फ्लाईओवर की ओर जाने वाली सड़क पर भी सीवर का गंदा पानी भरा रहता है, जिससे क्षेत्र में दुर्गंध, गंदगी और संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का बंद रहना समस्या को और जटिल बना रहा है। बरसाती पानी की निकासी के लिए बनाया गया नाला कभी चालू ही नहीं होने से थोड़ी-सी भी बारिश में जलभराव हो जाता है। धनवापुर अंडरपास में हर समय पानी भरा रहता है, जिससे यातायात और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंडरपास की कमियां दूर करने के लिए मरम्मत के लिए बजट दिया गया था, लेकिन समस्या जस की तस है। क्षेत्र की सभी सड़कें और गलियां पूरी तरह से टूटी हुई हैं, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। जारा जैसी बहुमंजिली आवासीय सोसाइटियों को बिना किसी सुनियोजित विकास योजना की मंजूरी देने से मौजूदा नागरिक बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक दबाव पड़ा है, जिससे समस्याएं और भी गंभीर हो गई हैं ।

निवासियों का कहना है कि इन समस्याओं के चलते बच्चों का स्कूल आना-जाना और नौकरीपेशा और दिहाड़ीदार लोगों का काम पर आना-जाना दूभर हो गया है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से इन गंभीर समस्याओं का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को तत्काल दिशा-निर्देश जारी करने का निवेदन किया ताकि सीवर व्यवस्था सुधारी जा सके, एसटीपी को चालू किया जा सके और सड़कों का पुनर्निर्माण हो सके। साथ ही, निवासियों ने धनवापुर अंडरपास, बरसाती नाला व सड़क निर्माण और एसटीपी बनाने में खामियों के कारणों की जांचकर दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की।

प्रदर्शन में वजीर सिंह, श्रवण गुप्ता, छोटे लाल, धर्मवीर, नानक चंद, तारा चंद, पवन कुमार, बीरवाल सिंह, धरवित यादव, सुरेंद्रनाथ तिवारी, रमेश शर्मा, श्याम सुंदर, संतोष दीक्षित, रामकुमार, राम शकल, रजत शर्मा, एडवोकेट विनोद भारद्वाज, निरंजन लाल, बलवान सिंह, असित कुमार, चौधरी बीरपाल सिंह, पिंटू यादव, राम कुमार शर्मा, भादा शर्मा, तारा आदि ने हिस्सा लिया।

एसआईआरेः अनिश्चितता और आतंक...

(पृष्ठ 1 का शेष)

(समरी रिवीजन), सतत पुनरीक्षण (कंटीन्युअस रिवीजन)। पहले कई बार गहन पुनरीक्षण हुआ है, लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) पहली बार हो रहा है। अंतिम गहन पुनरीक्षण 2002 में हुआ था। तब इसे लेकर कोई विशेष हंगामा नहीं हुआ। लेकिन इस बार हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से अब तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता आया है, इस बार चुनाव आयोग वैसा नहीं कर रहा। हाल ही में नई पद्धति से बिहार में एसआईआर हुआ है। अब पश्चिम बंगाल सहित 12 अन्य राज्यों में यह काम शुरू हुआ है।

पहले की तुलना में इस बार क्या है अंतर

पहले की पद्धति में गहन पुनरीक्षण अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची से शुरू होता था। 2002 में भी पुनरीक्षण का काम 2001 की अंतिम सूची से शुरू हुआ था। बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) चुनाव आयोग के निर्देशानुसार घर-घर जाकर कुछ सवाल पूछते थे। जिनके नाम सूची में होते, देखा जाता कि वे जीवित हैं या नहीं और सचमुच उस पते पर रहते हैं या नहीं। अगर रहते, तो उनका नाम स्वतः नई सूची में आ जाता। कोई फॉर्म भरना या दस्तावेज देना नहीं पड़ता था। यह पद्धति काफी तर्कसंगत थी। क्योंकि एक बार नाम सूची में आने के बाद वह उचित प्रमाणपत्रों के आधार पर ही आता है। अगर किसी का पता बदलता या दो जगह नाम होता, तो एक जगह से नाम हटा दिया जाता। इस तरह 2002 में पश्चिम बंगाल में आठ महीने तक गहन पुनरीक्षण हुआ था। उसमें 28 लाख नाम हटाये गए थे। कोई हंगामा नहीं हुआ। तो फिर इस बार क्यों हो रहा है? हो रहा है केंद्र की भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की उद्देश्यपूर्ण भूमिका के कारण।

क्या वास्तव में घुसपैठियों की पहचान करना है असली उद्देश्य

हाल ही में बिहार में एसआईआर हुआ। वहां कितने विदेशी घुसपैठिये पाये गए? रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम 313 लोग। इनमें 78 मुस्लिम और बाकी 235 नेपाली हिंदू। इन 313 घुसपैठियों को खोजने के लिए 7 करोड़ 73 लाख लोगों को दस्तावेज देकर साबित करना पड़ा कि वे घुसपैठिए नहीं हैं। यानी घुसपैठियों को खोजने की जो जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की थी, वह आम जनता पर डाल दी गई और उन्हें ही साबित करना पड़ा कि वे भारतीय नागरिक हैं।

अगर चुनाव आयोग का असली उद्देश्य मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता, तो वह अब तक जिस तरह से होता आया है, उसी तरह किया जाता। लेकिन विधानसभा चुनाव के इतने करीब, इतने कम समय में ऐसा करके लोगों को भयभीत क्यों किया गया? जनगणना जैसी विकास योजना के लिए सरकार को सालों लगते हैं, तो इस तत्परता का कारण स्वाभाविक रूप से संदिग्ध है।

पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के 11 सितंबर के एक पत्र से पता चलता है कि दो सूचियों-1 जनवरी 2002 की और 1 जनवरी 2025 की-के आधार पर एसआईआर शुरू होगा। बिहार में जिस नियम से एसआईआर हुआ, पश्चिम बंगाल में उसमें कुछ बदलाव किये गए हैं। जैसे, एनुमरेशन फॉर्म पर परिवार का कोई भी सदस्य हस्ताक्षर कर सकता है, फॉर्म के साथ तुरंत कोई दस्तावेज देना जरूरी नहीं है। जिनसे दस्तावेज मांगे जायेंगे, उनकी सूची चुनाव आयोग जारी करेगा। अगर माता-पिता का नाम 2002 की सूची में नहीं है, तो किसी अन्य रिश्तेदार का नाम दिया जा सकता है। ये बदलाव बिहार और पश्चिम बंगाल में तीव्र जनविरोध के दबाव में हुए हैं। इससे आम लोगों को कुछ राहत तो मिली है, लेकिन आयोग की भूमिका से स्पष्ट है कि नाम हटाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है-विशेषकर विपक्षी मतों को हटाना।

एसआईआर की पद्धति में बदलाव क्यों?

2003 में अटल बिहारी वाजपेयी-नीत एनडीए सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लाकर कहा था कि 1987 के बाद जो भारत में जन्मे हैं, वे सीधे नागरिक नहीं हैं। उन्हें यह साबित करना होगा कि उनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक थे। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि 1987 या उसके बाद जन्मे लोग मतदाता हैं या नहीं, यह संदिग्ध है। उन्हें यह साबित करना होगा कि उनके माता या पिता 2002 में मतदाता थे। यह वास्तव में 2003 के कानून के अनुसार नागरिकता साबित करने की कोशिश है। यह घुमा-फिराकर एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) का ही एक रूप है। भाजपा सरकार ने असम में एनआरसी करके वहां नागरिकता खोजने की कोशिश की थी, वहां भी औपचारिक रूप से एनआरसी शुरू करने से पहले मतदाता सूची पर काम शुरू हुआ था। भाजपा की इच्छा थी कि पूरे देश में एनआरसी लागू हो, लेकिन वह नहीं कर पायी। अब चुनाव आयोग को साथ लेकर वह काम शुरू कर रही है।

स्वाभाविक रूप से, एसआईआर और एनआरसी में समानता दिख रही है। इसलिए सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग ही नहीं, हिंदू धर्म के भी कई लोग भयभीत हैं। असम में एनआरसी के जरिये भाजपा ने घुसपैठिये मुस्लिमों को नागरिकता से वंचित करना चाहा था। लेकिन देखा गया कि 19 लाख नागरिकता-विहीन लोगों में से 14 लाख हिंदू थे। ऐसी स्थिति में जनाक्रोश से बचने के लिए भाजपा नया रास्ता खोज रही है। धर्मनिरपेक्षता की नीति को ताक पर रखकर अत्यंत अलोकतांत्रिक तरीके से सीएए लाया गया। पश्चिम बंगाल में अब कई जगहों पर कैम्प खोलकर सीएए के फॉर्म भरवाये जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इससे नागरिकता मिल जाएगी। खबरों के अनुसार, वहां भी प्रमाणपत्र देने के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस भी चुनावी लाभ उठाने के लिए इस भय के माहौल को भुनाने में जुट गयी है। इस भय के कारण अब तक कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। उनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं। ऐसी स्थिति में आम जनता को मांग उठानी होगी-एसआईआर के नाम पर भयभीत करने के बजाय सटीक मतदाता सूची बनायी जाये और सभी नागरिकों का मताधिकार सुनिश्चित किया जाये।

नागरिकता तय करेगा चुनाव आयोग!

आयोग कह रहा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, यहां तक कि खुद उसके द्वारा जारी किया गया वोटर आईडी कार्ड भी मतदाता के प्रमाणिक दस्तावेज नहीं हैं। सवाल उठता है: क्या नागरिकता तय करने का मानदंड तय करना चुनाव आयोग का काम है? उसका काम है आधार कार्ड, राशन कार्ड और फोटोयुक्त वोटर पहचान पत्र सहित आयोग द्वारा निर्धारित अन्य 11 दस्तावेजों में से किसी एक के जरिये मतदाता की पहचान की पुष्टि करना, सटीक सूची बनाना और उस सूची के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। लेकिन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर किसी विशेष उद्देश्य से कुछ और कर रहा है। हाल ही में कुछ राज्यों में चुनावों में आयोग पर लाखों फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने, डुप्लिकेट वोट, फर्जी पते, विपक्षी पार्टियों को डिजिटल मतदाता सूची न देने, सीसीटीवी फुटेज दिखाने से इनकार करने और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। लेकिन चुनाव आयोग इन आरोपों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया है।

अपनी अक्षमता का बोझ जनता पर डाल रही है सरकार

चुनाव आयोग जिन दस्तावेजों को नागरिकता के प्रमाण के रूप में मांग रहा है, उन पर ही सवाल उठ रहे हैं। देश में कितने प्रतिशत लोग नौकरी करते हैं? जिनके पास नौकरी नहीं है या कभी थी ही नहीं, वे नौकरी का पहचान पत्र या पेंशन दस्तावेज कैसे दिखायेंगे? 1987 से पहले कितने लोगों के पास बैंक खाता, पोस्ट ऑफिस खाता या एलआईसी पॉलिसी थी? उस समय कितने लोगों के पास जन्म प्रमाणपत्र था? जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिला, वे शैक्षणिक प्रमाणपत्र कैसे दिखायेंगे? बिहार में एनआरसी नहीं हुआ। फिर भी एनआरसी में नाम होने का दस्तावेज आयोग द्वारा निर्धारित 11 में से एक है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के पास आयोग द्वारा निर्धारित एक भी दस्तावेज होना संभव नहीं है। क्या आयोग उन्हें भूल गया है? यानी अधिकतर गरीब लोगों के पास जो दस्तावेज कभी थे ही नहीं या अब नहीं हैं, आयोग उन्हीं दस्तावेजों को सूचीबद्ध कर रहा है, जिनके अभाव में वे मतदाता सूची से बाहर हो जायेंगे। सिर्फ यही नहीं, वे भी बाहर हो जायेंगे, जिन्हें कभी शिक्षा का अवसर नहीं मिला-आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब लोग।

जिनके पुराने दस्तावेज खो गए या नष्ट हो गए हैं, वे दिन-रात सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर, परेशान होकर, दलालों के चंगुल में फंसकर भी दस्तावेज प्राप्त कर पायेंगे-इसकी क्या गारंटी है?

हर साल बाढ़ की चपेट में आने वाले लोग या जो रोजगार के लिए प्रवासी बनते हैं, वे 20-25 साल पुराने अपने पिता-दादा के दस्तावेज कहां सुरक्षित रखेंगे? अचानक फरमान जारी कर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड की स्वीकार्यता रातोंरात रद्द कर दी गई। बिहार में पहले चरण के 65 लाख और मसौदा सूची से 3.36 लाख यानी लगभग 69 लाख लोगों के नाम हटाये गए। इनमें 75-80 प्रतिशत लोग बेहद गरीब हैं। कोई खेत मजदूर या भूमिहीन किसान है, कोई प्रवासी मजदूर है, तो कोई घरेलू सहायिका।

देश के लोगों से कर के रूप में वसूले गये लाखों करोड़ रुपये खर्च कर आधार कार्ड बनाने के बाद सरकार ने आधार को इतना प्रमाणिक और विश्वसनीय बताया कि बैंक, राशन, गैस सहित हर महत्वपूर्ण सेवा से आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आधार कार्ड मतदाता के रूप में नागरिक की विश्वसनीय पहचान नहीं है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड नकली बन रहे हैं। इसी तरह सैकड़ों हजार करोड़ रुपये खर्च कर जो वोटर कार्ड बनाये गए, उन्हें भी नागरिकता का सबूत नहीं माना जा रहा है। क्योंकि वे भी फर्जी बन रहे हैं। तो फिर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड फर्जी यानी नकली होने की जिम्मेदारी क्या जनता की है? अगर कहीं कुछ नकली हो रहा है, तो उसमें शामिल हैं सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी। उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इसके लिए जनता को परेशानी में क्यों डाला जा रहा है? सरकार अपनी अक्षमता की जिम्मेदारी जनता पर नहीं डाल सकती।

लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है समस्या समाधान में नाकाम सरकार

असल में जनता में फूट डालने और अल्पसंख्यकों को विदेशी होने का ठप्पा लगाने की केंद्र की भाजपा सरकार की जो कार्यप्रणाली है, उसे ही वह एसआईआर के जरिये अंजाम देना चाहती है, लोगों को एसआईआर के नाम पर अस्तित्व के संकट में डालना चाहती है। जनजीवन की जो ज्वलंत समस्याएं हैं-भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर लगातार बढ़ते हमले, शिक्षा-स्वास्थ्य की समस्याएं, जिन्हें हल करने में केंद्र और राज्य की पूंजीवादी सरकारें पूरी तरह विफल रही हैं-एसआईआर के जरिये सरकार इन सभी समस्याओं को, मुद्दों को पीछे धकेलकर नागरिकता के मुद्दे को सामने ला रही है। यानी पहले देखो कि मतदाता सूची में तुम्हारा नाम है या नहीं, तुम वास्तव में भारत के नागरिक हो या नहीं, उसके बाद ही भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न पर सोचो। वैसे भी तुम्हें इन सब पर सोचने की जरूरत क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ-साथ आधार कार्ड को भी प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा, आयोग ने ऐसा नहीं किया। अब भी कह रहा है कि आधार जमा करने पर भी अगर संदेह हुआ, तो आयोग अन्य दस्तावेज देखना चाहेगा। इससे स्पष्ट है कि एसआईआर का उद्देश्य सही मतदाता सूची बनाना या सही नागरिक की पहचान करना नहीं है। बल्कि जनजीवन की मूल समस्याओं से नाराज जनता का ध्यान भटकाकर उसे सांप्रदायिक विभाजन की कृत्रिम और जटिल समस्या में उलझाना ही इसका लक्ष्य है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है लोगों में फूट डालकर एक तबके के लोगों का रक्षक बनकर दूसरे तबके के लोगों को भयभीत रखना और उनसे वोट डलवाना। भाजपा और सत्तारूढ़ दलों की इस हीन उद्देश्य की पोल खोलना आज निहायत जरूरी है।

एआईडीएसओ ने तेलंगाना में आयोजित की विद्यासागर पर संगोष्ठी

हैदराबाद (तेलंगाना) : एआईडीएसओ द्वारा भारतीय नवजागरण की गैर समझौतावादी धर्मनिरपेक्ष धारा के प्रबल समर्थक ईश्वरचंद्र विद्यासागर पर गत दिनों यहां एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

गीतम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री पटनचुरु जानी बाशा मुख्य वक्ता थे।

PRGI Regn. No. 43022

विलय के जरिये सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विवेकहीन कदम का
एसयूसीआई (सी) ने किया कड़ा विरोध

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 11 नवंबर, 2025 को जारी बयान में कहा :

"हम भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा कई अपेक्षाकृत छोटे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बड़े बैंकों में विलय करने के बेहद प्रायोजित कदम का कड़ा विरोध करते हैं। थोड़े लेकिन ज्यादा मजबूत बैंक बनाने के बहाने, जिसका गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि यह अंततः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने की एक गुप्त चाल है, जिसके तहत कॉर्पोरेट घरानों के साथ-साथ देशी-विदेशी निजी क्षेत्र के बैंकों को इक्विटी होल्डिंग के जरिए इन विलयित संस्थाओं में ज्यादा हिस्सेदारी दी जा रही है।

यह कहने की कोई खास जरूरत नहीं कि गैरराष्ट्रीयकरण के इस बेतुके कदम से सिर्फ निजी एकाधिकारी पूंजीपति घरानों को ही फायदा होगा, जो कर्मचारियों की संख्या घटाकर, शुल्कों में वृद्धि कर, ब्याज दरें घटाकर, ग्रामीण शाखाओं को बंद कर और गरीब तबके के लोगों को बैंक सुविधाओं से वंचित कर अधिकतम मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे। साथ ही, इस तरह के विलय से तथा बैंकिंग पूंजी और एकाधिकारी पूंजी के विलय से मुट्ठीभर धनकुबेरों का वित्तीय अल्पतंत्र और मजबूत होगा।

हम सभी बैंक कर्मचारियों, बैंक ग्राहकों, ट्रेड यूनियनों और सामाजिक संगठनों से आग्रह करते हैं कि वे भारत के सार्वजनिक बैंकिंग नेटवर्क को ध्वस्त करने के ऐसे जघन्य कदम, जो भारतीय नागरिकों के हितों के लिए बहुत ही हानिकारक है, को विफल करने के लिए एकजुट होकर विरोध की आवाज उठायें।

कोलकाता में एआईयूटीयूसी की विशाल रैली

कोलकाता (प.ब.): केंद्र सरकार के विनाशकारी चार लेबर कोडों, निजीकरण, ठेकेदारी प्रथा और वर्तमान एसआईआर तथा राज्य सरकार की तमाम मजदूर-विरोधी नीतियों और कदमों के खिलाफ एआईयूटीयूसी के आह्वान पर 10 नवंबर को शहीद मीनार मैदान में मजदूरों की रोष रैली आयोजित की गयी। हावड़ा और सियालदह स्टेशनों से नारे लगाते हुए दो विशाल जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सभा स्थल पहुंचे।

इसके अलावा, सुबह से ही विभिन्न वाहनों में मजदूरों का आना शुरू हो गया था। संगठन के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड ए.एल. गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस रैली में रेलवे, बिजली, बैंक, जूट, चाय, इस्पात, कोयला उद्योग जैसे संगठित क्षेत्र, मोटर वैन, टोटो, बीड़ी, निर्माण, फेरीवाले, मछुआरे सहित विभिन्न असंगठित क्षेत्र और आशा, आईसीडीएस और मिड डे मील कर्मी, नगर स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एनआरएलएम आदि विभिन्न योजनाओं के 50 हजार से ज्यादा मजदूर-कर्मचारी मौजूद थे।

मुख्य वक्ता संगठन के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष कॉमरेड स्वपन घोष थे। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 29 मौजूदा श्रम कानूनों को निरस्त करके पेश किये गये चार लेबर कोडों के खतरनाक पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि अगर ये कोड पूरी तरह से लागू हो गये, तो न्यूनतम वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्थायी नौकरी, सामाजिक सुरक्षा आदि की अवधारणाएं खत्म हो जायेंगी।

उन्होंने विभिन्न राज्यों में भाजपा शासित सरकारों द्वारा बांग्ला भाषी प्रवासी श्रमिकों को बांग्लादेशी बताकर उन पर किये जा रहे तरह-तरह के अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने राज्य सरकार के मजदूर-विरोधी और कर्मचारी-विरोधी कदमों और भर्ती घेटाले की भी कड़ी आलोचना की।

रैली में अखिल भारतीय उपाध्यक्ष कॉमरेड दिलीप भट्टाचार्य ने हाल ही में वैध मतदाताओं, खासकर मेहनतकशों को एसआईआर के जरिये गैर-नागरिक करार दिये जाने के तरीके का कड़ा विरोध किया। राज्य सचिव कॉमरेड अशोक दास ने कहा कि पिछली सरकारों की तरह, राज्य सरकार ने चाय उद्योग में न्यूनतम वेतन तय नहीं किया है। सरकारी काम करते हुए भी योजना कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है। सरकारी संगठनों में भी एजेंसी कर्मचारियों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जा रहा है।

रैली से प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल, श्रम मंत्री, परिवहन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सहित विभिन्न विभागों को ज्ञापन सौंपे। अध्यक्ष कॉमरेड ए.एल. गुप्ता ने महान नेता कामरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं के अनुरूप मजदूर मुक्ति आंदोलन के पूरक मजदूर आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया।

नो किंग्स आंदोलन से अमेरिका में उथल-पुथल
सड़कों पर उतरे अमेरिकी नागरिक

सत्ता में आने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प शिक्षा और स्वास्थ्य पर तथा और कई सरकारी विभागों के बजट आवंटन में कटौती कर रहे हैं। इसके अलावा, पिछले 22 दिनों (23 अक्टूबर तक) से चल रहे 'शटडाउन' के कारण पूरे अमेरिका में छंटनी-लेऑफ जारी है। कई सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करना पड़ रहा है।

सरकार द्वारा शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्रों के बजट आवंटन में कटौती के कारण कई लोग दूसरे देशों में जाने को मजबूर हो रहे हैं। लोकतंत्र पर हमले, स्वतंत्र विचारों और मीडिया पर बेलगाम हमले, देशभर में फैले भ्रष्टाचार और अराजकता-ट्रम्प सरकार की भूमिका पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा, अमेरिकियों के हितों का हवाला देते हुए आप्रवासियों के वीजा रद्द करने और उन्हें निर्वासित करने के फैसले से जन-आक्रोश चरम पर पहुंच गया।

यह आव्रजन नीति न केवल देश के शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्रों में, बल्कि सभी क्षेत्रों में संकट पैदा कर रही है। उच्च टैरिफ नीति के नतीजतन, दवाओं से लेकर स्टील उत्पादों तक, कई चीजों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। इसका असर अनगिनत आम लोगों, आईटी क्षेत्र और विभिन्न व्यावसायिक संगठनों पर पड़ा है। ट्रम्प सरकार की तानाशाहीपूर्ण कार्रवाइयों के कारण पहले भी दो बार बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। 17 अक्टूबर को, पूरा देश एक बार फिर 'अमेरिका में कोई राजा नहीं' नारे के साथ हुए विरोध प्रदर्शन से उथल-पुथल मच गयी। 'हम लोग' के बैनर तले 'हमारा कोई राजा नहीं' और 'हमें चुप नहीं कराया जा सकता' जैसे नारे लगाते हुए निकाले गए जुलूसों ने वाशिंगटन, लॉस एंजिल्स, मोंटाना, अटलांटा, कोलोराडो समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शनों की लहर पैदा कर दी। 'अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स', 'सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स', 'कम्युनिकेशंस वर्कर्स ऑफ अमेरिका' और 'अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन' सहित 200 से अधिक प्रगतिशील संगठनों के आह्वान पर 70 लाख से ज्यादा लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इनमें शिक्षक, वकील, पूर्व सैन्यकर्मी, नौकरी से निकाले गये कर्मचारी, छात्र, सेवानिवृत्त कर्मचारी आदि सभी शामिल थे। सरकार ने सेना भेजकर आंदोलन को दबाने की कोशिश की। इसकी परवाह न करते हुए 2,000 से ज्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए।

सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने इस विरोध प्रदर्शन को 'कम्युनिस्टों' और 'मार्क्सवादियों' का काम बताया है। वे इसे 'अमेरिका से नफरत' का आंदोलन बता रहे हैं और आम लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, अमेरिकी नागरिक इसे भूले नहीं हैं।

1776 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का पतन हुआ और अमेरिका में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। वर्तमान में, ट्रम्प सरकार के विभिन्न कदमों से अमेरिकी नागरिकों को लग रहा है कि 'राजशाही' वापस आ गई है। लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। दरअसल, चाहे ट्रम्प सत्ता में हों या बाइडेन, इस आंदोलन में लोगों की 'लोकतंत्र की बहाली' की मांग से यह स्पष्ट है।

●○●

कोलकाता : मजदूर रैली को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड स्वपन घोष

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Marutinandan Printers and Publishers, Shakti Complex,6/18, Sameypur Industrial Area, Delhi-110042 and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005.
Editor: Comrade Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C). **Phone No. : 9416763089, 9868350503** Email: **sarvaharadrishtikon@gmail.com**